

भारत का राजपत्र
The Gazette of India.

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 1970/माघ 27, 1891

No. 24] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 1970/MAGHA 27, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February 1970

G.S.R. 236.—The following Proclamation by the President is published for general information:

PROCLAMATION

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 356 of the Constitution of India, I, V. V. Giri, president of India, hereby revoke the Proclamation made under the said article on the 4th July, 1969, in relation to the State of Bihar.

NEW DELHI;
The 16th February, 1970.

V. V. GIRI, President.

NEW DELHI;
The 16th February, 1970.

[No. 13/8/BHR/69-Poll(K).]
L. P. SINGH, Secy.

गृह मंत्रालय

प्रवृत्ति

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1970

सा० सा० नि० 236--राष्ट्रपति की निम्नलिखित उद्घोषणा साधारण जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है ।

प्रमाण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री वी० वी० गिरि, भारत का राष्ट्रपति, बिहार राज्य के सम्बंध में 4 जुलाई, 1969 को उक्त अनुच्छेद के अधीन की गई उद्घोषणा को एतद् द्वारा प्रतिसह्य करता हूँ ।

नई दिल्ली,
16 फरवरी, 1970

श्री वी० गिरि
राष्ट्रपति ।

नई दिल्ली,
16 फरवरी, 1970

[सं० 13/8/बिहार/68-पोल (के).]

सं० प्र० सिंह, सचिव ।